ग्राम पंचायत चौकी खास, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चौकी खास के विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति राज कुमारी	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति दर्शना देवी	23.1.2016 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री मनोज कुमार	1.4.2013 से 22.3.2016
2.	श्रीमति पूजा देवी	23.3.2016 से अघतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत चौकी खास के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.65
2.	8	अनुदान राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	0.52
3.	9	अनुदानों का उपयोग न करना	8.54

4.	10	प्राप्त अनुदान की राशि से अधिक व्यय करना	1.04
5.	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	0.78
6.	12(i)	निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	0.66
7.	12(ii)	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियों व खपत प्रविष्टियां दर्ज न करना	0.12
8.	13	निम्न गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन	2.50

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत चौकी खास, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 19.7.2016 से 21.7.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 3/14, 9/14, 2/16 व 3/14, 3/15, 11/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत चौकी खास, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5400 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 221, दिनांक 20.7.2016 द्वारा ग्राम पंचायत चौकी खास से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को भेज दिया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(क) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत चौकी खास के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वयं स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	123250.39	123335	246585.39	43167.75	203417.64
2014–15	203417.64	140482	343899.64	73292.55	270607.09
2015–16	270607.09	120428	391035.09	58535.83	332499.26

(ख) अनुदान :–

ग्राम पंचायत चौकी खास के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	666846.36	2813214	3480060.36	2617183	862877.36
2014–15	862877.36	1544705	2407582.36	1754330	653252.36
2015–16	653252.36	1645597.64	2298850	1444526	854324

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अपेक्षित है। पंचायत द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों व बैंक खातों में निम्नानुसार ₹56738.21 का अन्तर है, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं व रोकड़ वहियों व बैंक खातों का मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। रोकड़ वहियों व बैंक खातों के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष का विवरण निम्नानुसार है।

(i)	रोकड़ वही खाता (क) पैरा 4(क) के अनुसार अन्तशेष	332499.26
(ii)	रोकड़ वही खाता (ख) पैरा 4(ख) के अनुसार अन्तशेष	854324.00
	कुल योग	**₹1186823.26**

अन्तशेष का विवरण :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	बचत खाता सं0	राशि (₹)
1.	पी0एन0बी0 चौकी मन्यार	1444000100032371	230876.47
2.	के0सी0सी0बी0 टकोली	20078007665	1012685
		योग	**₹1243561.47**
		अन्तर=(₹1186823.26–₹1243561.47)=	**₹56738.21**

5. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6. पंचायत राजस्व ₹0.65 लाख वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को पंचायत राजस्व ₹65285 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(i.) (क) गृहकर के रूप में ₹31080 का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

सचिव ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को ₹31080 वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	110	10780	10890	10730	160
2014–15	160	15840	16000	140	15860

2015–16	15860	15840	31700	620	31080

अतः उपरोक्त गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष ₹31080 की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म–10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31.3.2016 को ₹34205 का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा प्रदान की गई (परिशिष्ट–2 पर संलग्न) सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को दुकानों के किराये के रूप में ₹34205 वसूली हेतु शेष थी। अतः दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने उपरान्त यह राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाय जाए। इसके अतिरिक्त दुकानों के किराये का रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया है। अतः दुकानों के किराये का रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. खाता (ख) के ब्याज ₹0.58 लाख को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, मास : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु ग्राम पंचायत चौकी खास के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व निम्नानुसार अनुदानों पर प्राप्त ब्याज ₹57526 को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित नहीं किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से खाता (ख) के बैंक खातों में अर्जित ब्याज को खाता (क) में आन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य निम्नानुसार रोकड़ वही (क) व (ख) का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	माह	राशि
1.	9/2013	4393
2.	3/2014	9964
3.	9/2014	14894
4.	3/2015	13572
5.	9/2015	9017
6.	3/2016	5686
	कुल योग	**₹57526**

8. अनुदान ₹0.52 का रोकड़ वही के आय पक्ष में ईन्द्राज न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चौकी खास में वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बैंक खाते में ₹51930 प्राप्त हुए, लेकिन अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों को रोकड़ वही के आय पक्ष में ईन्द्राज नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त उल्लेखित अनुदानों के रूप में प्राप्त ₹51930 का रोकड़ वही के आय पक्ष में ईन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों को अविलम्ब रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	दिनांक	अनुदान शीर्ष का नाम	प्राप्त राशि (₹)
1.	1.6.2015	टी0एस0सी0	3000
2.	18.8.2015	13वें वित्त आयोग (पी0एस0)	45080
3.	18.11.2015	एम0एल0ए0	3850
		कुल योग	**₹51930**

9. अनुदान ₹8.54 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹854324 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान

व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10. प्राप्त अनुदानों से ₹1.04 लाख का अधिक व्यय करना :–

सचिव ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़े तथा वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार अनुदान में दिनांक 31.3.2016 को निम्नानुसार ₹103935 ऋणात्मक दर्शाई गई है, जोकि किसी अन्य योजना का लेखांकन निम्नानुसार ऋणात्मक दर्शाए गए अनुदानों अथवा किसी अन्य योजना से भुगतान करने के फलस्वरूप है। अतः अनुदानों की राशि को ऋणात्मक दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त अनियमितता का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	अनुदान का नाम	राशि
1.	इन्दिरा आवास योजना	33500
2.	रिलीफ (राहत)	4780.50
3.	एस0डी0पी0	93
4.	जी0आर0डी0सी0ए0	4301.50
5.	11वें वित्त आयोग	10440
6.	12वें वित्त आयोग	5296
7.	13वें वित्त आयोग (पी0एस0)	45160
8.	13वें वित्त आयोग (जि0प0)	364
	कुल योग	**₹103935**

11. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.78 के स्टॉक, स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹77934 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से

नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. (i) पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई ₹0.66 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/प्राप्त किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने की प्रविष्टियों की जानी अपेक्षित हैं। व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–"4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹66234 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया, लेकिन उक्त स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं किया गया। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में क्रय किए गए स्टोर (सामान) के किसी भी दुरूप्योग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः स्टॉक/स्टोर को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टरों से स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) ₹0.12 लाख के क्रय किए गए स्थाई व अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियां न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/प्राप्त किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी/खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज की जानी अनिवार्य है, लेकिन अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–"5" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹11939 के स्थाई व अस्थाई सामान का क्रय किया गया, लेकिन उक्त क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं किया गया। क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई सामान की स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त सामान के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई सामान को स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. निम्न गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन ₹2.50 लाख :–

कार्य का नाम :– **Completion of link road Dhat-bada road to villageTalp**

शीर्ष का नाम :– एस0डी0पी0

स्वीकृत राशि :– ₹150000

Item No.	Name of Item	Quanity executed	Consumption factor of cement	No of cement bag to be consumed	Consumption factor of sand	Quantity of sand to be consumed	Consumption factor of Aggregate	Quantity of Agg. To be consumed
3	P/L c.c 1:6:12	30.15m³	2.20 bag	66.33 bag	0.47m³	14.17m³	0.89m³	26.83m³
4	P/L c.c 1:2:4	22.60m³	6.40 bag	144.64 bag	0.445m³	10.06m³	0.89m³	20.11m³
			Total	210.97bag		24.23m³		46.94m³
			Say	211 bag				
Actual consumption as per stock register and measurement book				170 bag		28.30m³		42.47m³
	Difference			**(-)41bag**		**(+)4.07m³**		**(-)4.21m³**

(क) उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या : 6595 पेज 52 से 54 पर दर्ज है। माप पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु 170 बैग सीमेंट, 42.47 घन मीटर बजरी व 28.30 घन मीटर रेत प्रयोग किया गया दर्शाया है, जबकि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 211 बैग सीमेंट, 46.94 घन मीटर बजरी व 24.23 घन मीटर रेत प्रयोग किया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवत्ता व लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो सके। फलस्वरूप 41 बैग सीमेंट व 4.21 घन मीटर बजरी का कम व 4.07 घन मीटर रेत का अधिक प्रयोग होने के कारण उक्त कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदण्डों व तय नियमों के अनुरूप नही है अतः निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादन निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के ध्यान में विभागीय जांच हेतु लाया जाता है। कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) कार्य का नाम :– C/o Link road Abadi master Gurmej to Abadi Joginder Singh

शीर्ष का नाम :– 13th FC(ZP)

स्वीकृत राशि :– ₹100000

Item Name	Name of Item	Quantity executed	Consumption factor of cement	No. of cement bag to be consumed
5	P/L c.c. 1:6:12	26.25m³	2.20 bag	57.75 bag
6	P/L c.c. 1:2:4	12.29m³	6.40 bag	78.65 bag
8	P/L c.c. 1:5:10	12.90m³	2.60 bag	33.54 bag
			Total	169.94 bag
			Say	170 bag
Actual consumption as per stock register and measurement book				100 bag
Less cement consumed in the work				70 bag

उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या : 6595 पेज 33 से 36 पर दर्ज है। माप पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु 100 बैग सीमेंट का प्रयोग किया गया दर्शाया है, जबकि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 170 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो सके। फलस्वरूप 70 बैग सीमेंट का प्रयोग उक्त कार्य में कम होने के कारण उक्त निष्पादित मापदण्डों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है। अतः निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादन निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के ध्यान में विभागीय जांच हेतु लाया जाता है। कृत कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

14. माप पुस्तिका में सामान खपत विवरणी तैयार न करना :–

जांच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चौकी खास में प्रत्येक माह विकास कार्य हेतु लाखों रूपये की सामान, जैसे कि रेत, बजरी, बजरा, पत्थर, सीमेंट व ईटें इत्यादि खरीदा गया है, लेकिन माप पुस्तिकाओं में सामान खपत विवरणी वास्तविक रूप में तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि जिस कार्य हेतु प्राकलन के आधार पर जितनी मात्रा में सामान खरीदा गया है। वास्तव में उतीन ही मात्रा में सामान की खपत हुई है, जोकि कार्य नियमों के विपरीत है। अतः भविष्य में माप पुस्तिकाओं में सामान खपत विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

15. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया

था। ग्राम पंचायत चौकी खास के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अनिवार्य है व धारा 194 (सी) किसी भी कार्य हेतु किए गए सभी प्रकार के अनुबन्धों चाहे व लिखित हो अथवा मौखिक हो पर लागू होती है, जैसे कि विज्ञापन, कैटरिंग, ट्रांस्पोर्ट, लेवर, सेवा कार्य व सामान इत्यादि का अनुबन्ध। आयकर की धारा 194(सी) में विहित प्रावधान की अनुपालना न करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक विभिन्न व्यक्तियों, ठेकेदारों व फर्मों से टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की गई है, जिसके कारण सरकारी कोष में कई हजारों रूप्ये टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुए हैं। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में आयकर की धारा 194(सी) के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

17. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकार्ड का रख–रखाव न करना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(1) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(2) जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)

(3) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(4) सम्पदा रजिस्टर (B-10)

(5) शिकायत रजिस्टर (B-11)

ग्राम पंचायत चौकी खास द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही उक्त अभिलेख तैयार किया गया, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के नियमों की अवहेलना है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म सं0	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	–	103
4.	मासिक समाधान विवरणी	–	15(1)
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1)
10.	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20. **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21. **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त रोकड वहियों का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के अध्याय–2 नियम–4 के अनुरूप रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(5)7/2016, खण्ड–1–5128–5131 दिनांकः23.09.2016 , शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत चौकी खास, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या : 1(ख) व 13 में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.